

Object reference not set to an instance of an object.

05-Aug-2020



**अंचल अधिकारी का कार्यालय**  
घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम  
**अस्वीकृति की सूचना**

नामांतरण मुकदमा संख्या : 229 R27/ 2016 - 2017 /घाटशिला

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नामांतरण मुकदमा संख्या 229 R27/ 2016 - 2017 /घाटशिला को अस्वीकृत किया जाता है

अस्वीकृत करने वाले का नाम - RAJENDRA PRASAD SINGH(Circle Officer)

दिनांक - 7/6/2017 3:13:35 PM

अस्वीकृत का कारण - सम्बन्धित हल्का का हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदानुसार एवं माननीय सरकारी अधिवक्ता, जमशेदपुर से प्राप्त मनतब्य दिनांक 22.06.2017 के आधार पर online नामांतरण वाद संख्या 229/2016-17 को अस्वीकृत किया जाता है !

अंचल निरीक्षक का नाम- KUMAR PANKAJ

दिनांक- 7/6/2017 2:58:30 PM

अंचल निरीक्षक का मंतव्य - हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन देखा। आवेदित भूमि मौजा-मोऊभंडार ऑनलाइन पंजी ॥ पृष्ठ संख्या 2/2 अन्तर्गत ज्ञानो देवी, पति हीरालाल के नाम से दर्ज पाया गया! विक्रेता ऑनलाइन पंजी ॥ रैयत के पुत्र है एवं जेनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी प्राप्त कर भूमि विक्री किया गया है! हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदानुसार एवं संगलन कागजातों के आधार पर यह पाया गया की आवेदित भूमि मौजा- मोऊभंडार, खाता न 131, अनाबाद बिहार सरकार, प्लाट संख्या 512, रकवा 65 डी हाल सर्वे सेटेलमेंट 1964 अन्तर्गत अभियुक्ति कालम में बिमन बहादुर बलात दखल 1964 से दर्ज पाया गया! अंचल अधिकारी घाटशिला लगान निर्धारण मुकदमा संख्या 4/1992-93 आदेश ज्ञापांक 346, दिनांक 13.04.1993 द्वारा मालगुजारी निर्धारित किया गया! उक्त खाता संख्या 131 की भूमि ऑनलाइन 2/2 अन्तर्गत खाता का प्रकार अनाबाद बिहार सरकार दर्ज पाया गया! इस सम्बन्ध में निदेशानुसार माननीय सरकारी अधिवक्ता जमशेदपुर से इस कार्यालय के पत्रांक 254, दिनांक 13.04.2017 द्वारा मन्तव्य की मांग किया गया! माननीय सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त दिनांक 22.06.2017 के मन्तव्य के आधार पर Considering the aforesaid document I am Of considered opinion that the rent fixed in Rent Fixation Case No 4/1992-93 in respect to Govt. Land and that the without any decree in favour of Gyano devi from the competant Court of law is quite illegal and thus all the three deeds executed by her are illegal and void and in the same do not pass any right or title upon the purchasers and thus there is no occassion to mutate the Govt. land in favour of all the purchasers of said three sale deeds. अंतः हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदानुसार एवं माननीय सरकारी अधिवक्ता, जमशेदपुर के मन्तव्य के आधार पर ऑनलाइन नामांतरण मुकदमा संख्या 229 R27/2016-17 को अस्वीकृत किया जा सकता है!

राजस्व कर्मचारी का नाम-

दिनांक- 7/6/2017 2:30:17 PM

राजस्व कर्मचारी का मंतव्य - आवेदित भूमि का मूल खाता अनावाद विहार सरकार खाते का है! लगान निर्धारण वाद संख्या 4/92-93 के तहत श्रीमती ज्ञानो देवी, पति- स्व हिरा लाल का नाम से लगान निर्धारण हुआ है! वर्तमान श्रीमती ज्ञानो देवी विक्रेता को G.P.Of Attorney Book No - IV 14, दिनांक 31.05.2014 को विक्री हेतु पावर दिया गया है! उसी पावर के आधार पर विक्री किया गया है! मूल खाता सरकारी खाता है! उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सरकारी अधिवक्ता से मनतब्य का मांग इस कार्यालय के पत्रांक 254, Date 13.04.2017

द्वारा किया गया था! सरकारी अधिवक्ता अपना मनतब्य दिया की सरकारी भूमि को किसी भी परिस्थिति में नामांतरण नहीं करना है! अतः आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है!

मुकदमा संख्या 229 R27/ 2016 - 2017 /घाटशिला का विवरण

आवेदक का नाम	अभिभावक का नाम	पता
SMT. SHILA JAISEE	SRI AMRIT PRASAD JAISEE	AT- MOUBHANDAR, PO- MOUBHANDAR, PS- GHATSHILA

से नामांतरण हेतु आवेदन (संख्या - 229 ) प्राप्त किया गया ।

**क्रेता का विवरण**

क्रेता का नाम	अभिभावक का नाम	पता
SMT. SHILA JAISEE	SRI AMRIT PRASAD JAISEE	AT- MOUBHANDAR, PO- MOUBHANDAR, PS- GHATSHILA

**विक्रेता का विवरण**

विक्रेता का नाम	अभिभावक का नाम	पता
SMT. GYANO DEVI	LATE HIRA LAL	KUTLUDIH (GHATSHILA)

**भूमि का विवरण**

मौजा: माऊभण्डार थाना : 86

खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा
131	512	0 एकड़,4.4 डिसमील, 0हेक्टर

Add Digital Signature

Digitally Signed by :  
अंचलाधिकारी

घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम

भू-राजस्व विभाग पत्र संख्या